



शुद्धि पत्र

संख्या:1399/ 77-6-18-5(बजट)/ 17

प्रेषक,

अंकित कुमार अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ:दिनांक- 28 मार्च, 2018

विषय: अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 (मेगा परियोजना) के कार्यान्वयन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवण्टित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू० 3,17,12,14,000.00 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1320/ 77-6-18-5(बजट)/ 17 दिनांक 27-03-2018 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 को निम्नवत् पढा जाय:-

"आपके द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर पिकप को उपलब्ध कराई जायेगी। यह धनराशि पिकप द्वारा शासनादेश संख्या- 1300/ 77-6-18-5(एम)/ 13 टीसी(मेगा) दिनांक 22-03-2018 के अनुसार सर्वश्री श्री सीमेण्ट लि०, बुलन्दशहर तथा रिलायन्स सीमेण्ट कम्पनी प्रा० लि०, रायबरेली को उपलब्ध कराई जायेगी।"

2- उपरिसंदर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें/ प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(अंकित कुमार अग्रवाल)

विशेष सचिव।

संख्या:1399(1)/ 77-6-18-5(बजट)/ 17 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, प्रथम/ द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

- 3- पिकप, लखनऊ को उनके पत्र संख्या पिकप/ मेगा/ आईआईआईपी-2012/ डीआईएसबी / 2450 दिनांक 22-03-2018 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
- 4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ 4
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -6
- 8- नियोजन अनुभाग-1/ 4
- 9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)

अनु सचिव।